

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 393/2022

जुनस अली पुत्र गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. खान मोहम्मद पुत्र लाल खाँ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बरकत अली पुत्र अहमद्दीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सफी मोहम्मद पुत्र लाल खाँ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. भागीरथ पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलांवाली जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2023/1112 दिनांक 18.04.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वाद पत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

चक 5 एमएमके के खाता सख्या 58/16 (कुल खाता 2.657 हैं) मौके पर कब्जाकाशत की भूमि:-

1. जुनसअली पुत्र गुलामरसूल जाति मुसलमान सा. किकरवाली पं. 143/199 मु.न. 12 किला नं. 20/1/0.228, 20/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.253 हैं नहरी
2. बरकतअली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान सा. किकरवाली प.न. 143/199 मु.न.12 किला नं. 8/0.126, 9/0.253, कुल 0.379 हैं
3. रहमतअली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान सा. किकरवाली पं.न. 143/199 मु.न. 12 किला नं. 8/0.127, 7/0.253 कुल 0.380 हैं
4. खानमोहम्मद पुत्र लालखां जाति मुसलमान सा. किकरवाली प.न. 143/199 मु.न. 12 किला नं. 10/1/0.073, 11/1/0.228, 11/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.326 हैं
5. सफीमोहम्मद पुत्र लालखां जाति मुसलमान सा. किकरवाली प.न. 143/199 मु.न. 12 किला नं. 10/1/0.016 कुल 0.016 हैं
6. भागीरथ पुत्र धनाराम जाति जाट सा. संगरिया प.न. 143/199 मु.न. 12 किला नं. 12/0.253, 19/0.253, 21/1/0.228, 21/2/0.025 गै.मु. रास्ता 22/0.253 कुल 1.012 हैं
7. जोगेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख सा. लीलांवाली प.न. 154/201 मु.न. 49 किला नं. 15/1/0.215, कुल 0.215 हैं
8. नूरनबी, नूरहसन, नूरअहमद, सदामहुसैन आरफां पि चिराग अली 5/6 हि हनीफाबीबी पत्नी चिरागअली 1/5 हि जाति मुसलमान सा. किकरवाली प.न. 143/199 मु.न. 12 किला नं. 4/4/0.076, कुल 0.076 हैं

लगातार --2



उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जाकाशत के अभाव में नियमानुसार कलमजन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निजx..... निलx..... मुब्लिकx.....निलx..... बाबत्x.....निल.....
..x..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकx.....को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 26/05/2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

